

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ला दीवान)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- उमा मित्तल आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- 96 / 2019

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ़।

-वादी-

बनाम

1. चावली पत्नी ईमीलाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ़।

2. राकेश

3. तरसेम

4. महावीर

5. सुचित्रा

6. सुशीला

पिसरान ईमीलाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा।

7. कृष्णा पत्नी बदीप्रसाद जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा।

8. पुष्पा पुत्री बदीप्रसाद } जाति जाट निवासी पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा।

9. पदीप पुत्र बदीप्रसाद }

10. बसो पुत्री विमला पुत्री रामलाल जाति जाट निवासी पीलीबंगा गांव



-प्रतिवादीगण-

वाद पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान भु-राजस्व अधिनियम की धारा 136 व आरटीए
धारा 88 बाबत दूरुस्त करने राजस्व रिकार्ड बरबिनाय साक्ष्य हर किस्म
उपस्थित अधिवक्तागण

डिक्री

दिनांक :- 23/02/2026

राजपैरोकार तहसीलदार पीलीबंगा एवं प्रतिवादी 1 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री
हरिजन्द्र सिंह रमाण्डा इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड
अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने
पर वाद पत्र में प्रतिवादीगण के प्रस्तुत जवाब दावा एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अन्तर्गत
धारा 136 एलआरएक्ट एवं राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम की धारा 88 के तहत साबित होने
से स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि पूर्व की प्रविष्टीया विलोपित करते हुए
निम्न अनुसार प्रतिवादीगण का हक व हिरसा दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये
जाते है- चक 2 एनआर के खाता सं. 15/10 के प.नं. 39/326 किला नं. 2 ता 9,
13 ता 18, 23/2 ता 25 की 4.214 हैक. भूमि में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का 3.704
हैक. व.हि.ब. है व प्रतिवादी सं. 5, 6 का 0.087 हैक. ब.हि. ब. है, प्रतिवादी सं. 7 ता

3
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

का 0.358 है. ब.हि.ब. है व प्रतिवादी सं. 10 का 0.065 है. हिस्सा के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं हों की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा अनकमाण्ड/नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

स्वर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 23/02/2026 को हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



3
सहायक कलेक्टर एवं
(उम्मीद मिचल पीलीबंगा)
उपखण्ड अधिकारी (आर.टी.ए.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा